

नगरी दुबराज को मलिा जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

26 मार्च, 2023 को केंद्रीय वाणज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के नगरी के धान की 'नगरी दुबराज' कस्मि को जीआई टैग मलिा है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाले सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी जीआई टैग मलिा है।
- उल्लेखनीय है कि 'नगरी दुबराज' छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग, यानी जीआई टैग मलिा है। इसके पहले जीरा फूल धान की कस्मि के लिये प्रदेश को जीआई टैग मलि चुका है।
- वदिति है कि 29 नवंबर, 2021 को ग्वालियर में आयोजित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के धमतरी के 'नगरी दुबराज' कस्मि को जीआई टैग देने के लिये अनुमोदन कयिा गया था।
- चेन्नई द्वारा गठित कमेटी में भारत के 10 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जाँचा और परखा गया तथा नगरी दुबराज की नगरी में उत्पत्ति होने का प्रमाण स्वीकार कर लयिा गया।
- ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने जीआई टैग के लिये नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा था।
- नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों में सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का प्रयोग कयिा जाता है।
- नगरी दुबराज की उत्पत्ति सहिवा के शृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी गई है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी कयिा गया है। वभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज का स्रोत नगरी सहिवा को ही बताया गया है।
- नगरी दुबराज से निकलने वाला चावल बहुत ही सुगंधित होता है। यह पूर्णरूप से देशी कस्मि है और इसके दाने छोटे हैं। इसका चावल पकने के बाद खाने में बेहद नरम है। एक एकड़ में अधिकतम छह क्वटिल तक उपज मलिती है। धान की ऊँचाई कम और 125 दिन में पकने की अवधि है।
- **वर्ल्ड इंटेलिक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गनाइजेशन (विपी)** के अनुसार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी खास फसल, प्राकृतिक या कृत्रिम उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह बौद्धिक संपदा का अधिकार माना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद ने सन् 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 'ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स' लागू कयिा था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य, व्यक्ती या संगठन इत्यादि को दे दयिा जाता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nagari-dubraj-got-gi-tag>

